94

201

न्यायालय श्रीमान् सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0
समक्ष लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0) R. 4180-तीन/13

C.T. Rs. 20/-

मु0 इन्द्रवती पत्नी स्व0 अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम पिडरिया सेंगर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 ———————निगरानीकर्ता

बनाम

1— भैयालाल तनय कुंजीलाल
2— मु0 संतोषिया पत्नी कौशल प्रसाद
3— विजय कुमार तनय कौशल प्रसाद
4— अरूण कुमार तनय कौशल प्रसाद
5— राजमणि तनय गया प्रसाद

सभी निवासी ग्राम पेडरिया सेंगर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0
———————गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री सुनील पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 4.9.2013

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2013 जो कि अपर कलेक्टर रीवा द्वारा निगरानी प्रकरण क्र0—149 अ 6/10—11 में पारित किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1— यह कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में तीन पृथक—पृथक आवेदन पत्र वसीयत दिनांक 28.12.74 के परिप्रेक्ष्य में, वसीयत में उल्लेखित भूमियो के नामांतरण हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त वसीयत गैरनिगरानीकर्तागण के कथनानुसार श्रीमती बदरी पिता रामकृपाल एवं श्रीमती हिरौआ पत्नी रामकृपाल के द्वारा गैरनिगरानीकर्ता भैयालाल तनय कुंजबिहारी, कौशल प्रसाद एवं राममणि तनय गया प्रसाद के पक्ष में लिखाई गई थी।

2— यह कि ग्राम लोहखुर्द में स्थित भूमियों के सम्बन्ध में गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा जो नामांतरण आवेदन, कथित वसीयत दिनांक 28.12.74 के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उक्त नामांतरण आवेदन पत्र ग्राम

नि0 अ0

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4180-III / 13** जिला–रीवा

मु0 इन्द्रवती / भैयालाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 149 / अ–6 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	